राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2130/2023

पुष्पेन्द्र सिंह रावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर मण्डल भवन, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर
3. अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण एवं अंवेक्षण संर्किल कोटा।
4. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, गंगापुर सिटी राजस्थान।
5. प्रवीण कुमार मेहता, एईएन, जल संसाधन विभाग, गुणवत्ता नियंत्रण एवं अंवेक्षण संर्किल कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीन असवाल, अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 10.08.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सहायक अभियंता के नव सर्जित पद कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, गंगापुर सिटी में पदस्थपित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि कार्यालय अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण एवं सतर्कता वृत, जल संसाधन कोटा में अधीशाषी अभियंता के दो पद स्वीकृत थे, जिनमें से एक पद बजट में समाप्त कर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, गंगापुर सिटी के अधीन स्थानान्तरित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी जो कि पूर्व में सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण एवं सतर्कता वृत, जल संसाधन कोटा में कार्यरत था, को नव सर्जित पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वृत कार्यालय में पहले दो पद स्थापित थे, जिसमें एक पद पर अपीलार्थी तथा दूसरे पद पर प्रवीण कुमार मेहता कार्यरत थे। प्रवीण कुमार मेहता उक्त स्थान पर दिनांक 24.06.2022 से कार्यरत है, जबकि अपीलार्थी उनसे पूर्व से कार्यरत है। ऐसे

में प्रवीण कुमार मेहता का स्थानान्तरण किया जाना चाहिए था। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी प्रवीण कुमार मेहता से वरिष्ठ है। ऐसे में जो अधिशेष कर्मचारी के समायोजन के सम्बन्ध में नियम बने हुए है उसके अनुसार सबसे कनिष्ठ व्यक्ति को सर्वप्रथम अधिशेष घोषित किया जाना चाहिए।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। जहां तक अधिशाषी कर्मचारी के समायोजन के क्रम में नियम बने हुए हैं वो नियम वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्यों वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी अधिशेष नही है। हम यह भी पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।
6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)